न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1037–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–3–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 28/अपील/अ–6/2011–12 ।

.....

मोहम्मद कमर आ0 मोहम्मद अमीर,

निवासी ग्राम बम्होरी तहसील सिलवानी

जिला रायसेन म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–सुरेन्द्र कुमार आ0 श्री बृन्दावन विश्वकर्मा,

2–महेश कुमार आ0 श्री बृन्दावन विश्वकर्मा

3–सुशील कुमार आ0 श्री बृन्दावन विश्वकर्मा

4–श्रीमती यशोदाबाई पत्नी श्री बृन्दावन विश्वकर्मा

निवासी ग्राम भैसरा तहसील सिलवानी जिला रायसेन म0प्र0

5–मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदकगण

.....

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक–आवेदक

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 6/10/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–3–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम भैसरा तहसील सिलवानी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 11–12 रकबा 13.61 एकड़ भूमि अनावेदकगण के पूर्वज बृन्दावन के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी । आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त भूमि में से 6 एकड़ भूमि पर कई वर्षो से उसका निरन्तर कब्जा चला आ रहा है, अतः संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत उक्त भूमि का उसके पक्ष में नामान्तरण किया जाये। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/अ–6/1991–92 दर्ज कर दिनांक 23–6–1992 को आदेश पारित कर 6 एकड़ भूमि पर आवेदक का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध लगभग 19–20 वर्ष पश्चात् अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रचलित रहने के आधार पर आवेदक द्वारा संहिता की धारा 30 के अन्तर्गत प्रकरण अन्य न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरण किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 3–12–12 को प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी बेगमगंज को प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी बेगमगंज द्वारा दिनांक 17–3–15 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर मृतक भूमिस्वामी बृंदावन के वारिसानों के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 15–3–16 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत् रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदकगण की ओर से लगभग 19 वर्ष पश्चात् प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी जो कि अवधि बाह्य थी और अनावेदकगण

द्वारा विलम्ब क्षमा हु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये जाने के बावजूद भी अनावेदकगण द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी को अपील अवधि बाह्य होने पर ही निरस्त करना चाहिये थी । इस बिन्दु पर अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर विचार नहीं किया गया है कि संहिता की धारा 169 व 190 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अधिकारिता तहसीलदार को प्राप्त है और तहसीलदार के समक्ष उभयपक्ष द्वारा आवेदक के मौरूसी कृषक होने के तथ्य को स्वीकार किया गया है । चूँकि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी, इसलिये सर्वप्रथम अनुविभागीय अधिकारी को समय सीमा के बिन्दु पर आदेश पारित करना चाहिये था, परन्तु ऐसा न कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई है । अनावेदकगण तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, इसलिये उन्हें पक्षकार बनने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था, जो कि नहीं किया गया है।

(2) अनावेदकगण की ओर से ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि मृतक भूमिस्वामी बृंदावन का स्वर्गवास हो चुका है और वे उसके वैधानिक उत्तराधिकारी है ।

तर्क के समर्थ में 2006 आरएन 88, 2007 आरएन 359, 1989 आरएन 346 एवं 2002 आरएन 23 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि बिना किसी पंजीकृत दस्तावेज के आवेदक द्वारा अपने स्वत्व की बताई जा रही है, जबकि स्वत्व का अंतरण बिना वैध दस्तावेज के नहीं हो सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदक का 5–6 वर्षो से कब्जा होने के आधार पर संहिता की धारा 190, 110 के अन्तर्गत भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त होना मान्य करते हुये नामान्तरण आदेश पारित किया गया है, जबकि संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत मौरूषी कृषक को ही भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालयों को प्राप्त है और मौरूषी कृषक के अधिकार देने के लिये राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है । स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अनुचित आदेश होकर क्षेत्राधिकार रहित आदेश है, अतः उसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–3–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर